अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 *प्रतिशत* अनुदान तथा 70 *प्रतिशत* ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग कि0मी0) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि **परिशिष्ट-1** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2015 (प्रक्षिप्त) में 0.71 करोड़ हो गई, जिसमें 16 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11 *प्रतिशत* रही, जो अखिल भारतीय औसत (30 *प्रतिशत*) से कम थी। राज्य में विगत दशक में आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] की मिश्रित विकास दर 2006-07 से 2015-16 की अवधि में 15.47 *प्रतिशत* (**परिशिष्ट 1**) रही।

चालू मूल्यों पर 2015-16 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,10,511 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 *प्रतिशत* (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 82.80 *प्रतिशत* (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,30,067[2] रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.1** में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	--	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	--	13.16	12.51	9.20	9.30

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चालू मूल्यों पर भारत के और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2011-16 की अवधि के दौरान अन्त: वर्षीय ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 0.1 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

---

1 *परिशिष्ट-4 में शब्दावली का संदर्भ लें।*

2 *अग्रिम आंकड़ा*

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2014-15) की तुलना में चालू वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि **परिशिष्ट 1.4** विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	2015-16		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	**17,843**	**23,440**	**राजस्व व्यय**	**19,787**	**18,810**	**3,493**	**22,303**
कर राजस्व	5,940(33)	6,696(29)	**सामान्य सेवाएं**	7,604	8,734	54	8,788
कर-भिन्न राजस्व	2,081(12)	1,837(8)	**सामाजिक सेवाएं**	7,451	6,036	1,944	7,980
संघीय करों/शुल्कों का भाग	2,644(15)	3,611(15)	**आर्थिक सेवाएं**	4,723	4,030	1,494	5,525
भारत सरकार से अनुदान	7,178(40)	11,296(48)	**सहायता अनुदान व अंशदान**	9	10	--	10
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**650**	--	**पूंजीगत परिव्यय**	**2,473**	296	2,568	**2,864**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**41**	**26**	**संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**474**			**463**
लोक ऋण प्राप्तियां	**10,877**	**6,129**	**लोक ऋण की अदायगी**	**8,260**			**3,948**
आकस्मिकता निधि	--	--	**आकस्मिकता निधि**	--			--
लोक लेखा प्राप्तियां#	**10,575**	**11,515**	**लोक लेखा संवितरण#**	**8,844**			**10,577**
अथ रोकड़ शेष	**(-)887**	**(-)739**	**अन्तिम रोकड़ शेष**	**(-) 739**			**216**
योग	**39,099**	**40,371**	**योग**	**39,099**			**40,371**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

 # अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के शुद्ध आंकड़े राज्य संसाधनों के विश्लेषणार्थ लिए गए हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

राजस्व प्राप्तियां	₹ 5,597 करोड़ (31 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि केन्द्रीय अन्तरणों अर्थात् सहायता अनुदान (₹ 4,118 करोड़) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 967 करोड़) के कारण थी।
राजस्व व्यय	₹ 2,516 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़ गया। आयोजनेत्तर व्यय तथा योजनागत व्यय में यह वृद्धि क्रमश: ₹ 2,227 करोड़ तथा ₹ 289 करोड़ थी।
राजस्व अधिशेष	वर्ष 2014-15 में ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा चालू वर्ष (2015-16) में ₹ 1,137 करोड़ के अधिशेष में बदल गया। यह राज्य को भारी केन्द्रीय निधि अन्तरण के कारण था।
पूंजीगत व्यय	₹ 391 करोड़ (16 *प्रतिशत*) बढ़ गया।
लोक ऋण प्राप्तियां	प्राप्तियां व इनकी अदायगी क्रमश: ₹ 4,748 करोड़ (44 *प्रतिशत*) व ₹ 4,312 करोड़ (52 *प्रतिशत*) घट गई।
लोक लेखा प्राप्तियां	प्राप्तियाँ एवं संवितरण दोनों ही क्रमश: ₹ 940 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) एवं ₹ 1,733 करोड़ (20 *प्रतिशत*) बढ़ गये।
अन्तिम नकद शेष	गत वर्ष (-) ₹ 739 करोड़ से ₹ 955 करोड़ बढ़कर 2015-16 के अन्त में ₹ 216 करोड़ हो गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय घटकों पर राज्य सरकार का निष्पादन **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय घटक

राजकोषीय घटक	2015-16				
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0# में प्रस्तावित/प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ो का प्रतिशत परिवर्तन	
				राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0# में प्रस्तावित /प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	46.84	1,137*	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	(-) 3.00 या कम	(-)2.91	(-) 1.96	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (*प्रतिशत* में)	35.42	33.83	37.27	(-)1.85	(-)3.44

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

 # मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेण्ट ** ₹ 1,137.67 करोड़*

*** इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।*

एफ0आर0बी0एम0 एक्ट/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कुल बकाया ऋण के अनुपात जोकि एफ0आर0बी0एम0 एक्ट/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित लक्ष्य से अधिक था को छोड़कर एफ0आर0बी0एम0 एक्ट व एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2015-16 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े **चार्ट 1.1** में दर्शाए गये हैं:

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदंड: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट प्राक्कलन (₹ करोड़ में)

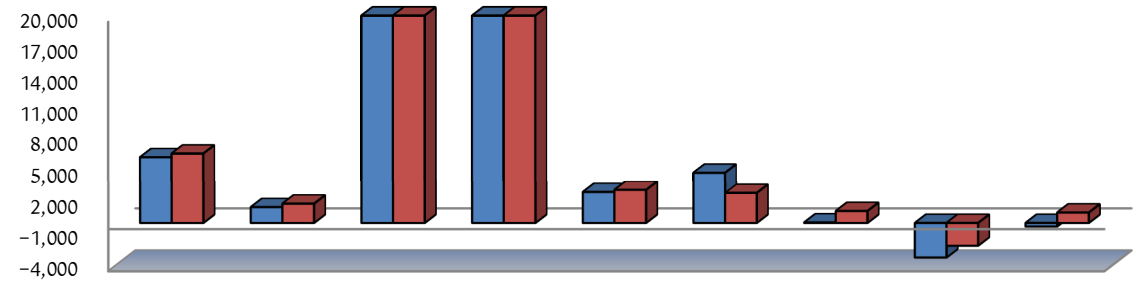

	कर राजस्व	कर-भिन्न राजस्व	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	पूँजीगत व्यय	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक अधिशेष (+)/ घाटा (-)
बजट प्राक्कलन	6,341	1,507	23,535	23,488	2,950	4,851	47	-3,285	-335
वास्तविक आँकड़े	6,696	1,837	23,440	22,303	3,155	2,864	1,137	-2,165	990

स्रोत: आय तथा व्यय (दिसम्बर 2015) की समीक्षा तथा वित्त लेखे 2015-16

जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जा सकता है कि अनेक मापदंडों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में बहुत भिन्नताएं थी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राजस्व, प्राथमिक व राजकोषीय घाटे में वैविध्य मूलत: प्राक्कलनों की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्तियों से हुआ जो कि मुख्यत: संघीय करों/शुल्कों के अंश व भारत सरकार से अनुदानों के कारण विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,085 करोड़ की अधिक प्राप्ति के कारण था।

1.1.4 लिंग बजटीकरण

वर्ष 2013 में महिला तथा बाल विकास विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 *प्रतिशत* की आवंटन सीमा तक 18 स्कीमें थीं तथा वर्ष 2015-16 के दौरान पांच स्कीमें आंशिक आवंटन की थीं, जिनके अन्तर्गत परिव्यय किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में उल्लेख किया गया है। इन स्कीमों में ₹ 327.09 करोड़ के कुल परिव्यय के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के अन्त तक ₹ 285.62 करोड़ की राशि खर्च की गयी थी तथा ₹ 41.47 करोड़ का अव्ययित शेष विभाग के पास पड़ा था ।

1.1.5 चालू वर्षों के बजटों में मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल

2015-16 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने मुख्य रूप से निर्धन तथा दलित को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा समाज के क्रमश: सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास की प्रतिबद्धता की थी। 2015-16 के दौरान सरकार की कुछ मुख्य नीतियों के अन्तर्गत इन स्कीमों पर बजट प्रावधान एवं किये गये वास्तविक व्यय को **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल, बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक -	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्त बजट	व्यय	प्राप्त वास्तविक बजट पर व्यय प्रतिशत
1	**कौशल विकास भत्ता**	100	--	100	40.92	41
2	**एकीकृत जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम**	50	8	8	2.36	30
3	**शीत भण्डारणों का नियन्त्रित तापमान भण्डारों में रूपान्तरण**	5	--	--	13.61	--

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका से अवलोकित होता है कि प्रथम दो स्कीमों में प्राप्त/प्रावधानकृत बजट के सापेक्ष 60 से 70 *प्रतिशत* राशि विभाग के पास अव्ययित पड़ी थी जिससे स्कीम का उद्देश्य ही विफल हो गया। 'शीत भण्ड़ारणों का नियन्त्रित तापमान वाले भण्डारों में रूपान्तरण' नामक स्कीम में राज्य के बजट में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान किए जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा बजट अवमुक्त नहीं किया गया। विभाग ने स्कीम को पूर्ण एवं वाणिज्यिक रूप से सफल बताया लेकिन इसकी देयताऐं अभी भी राज्य सरकार द्वारा भुगतान हेतु अपेक्षित हैं।

1.2 राज्य के संसाधन

चार्ट 1.2, 2015-16 के दौरान प्राप्तियों के घटकों तथा उप-घटकों को दर्शाता है।

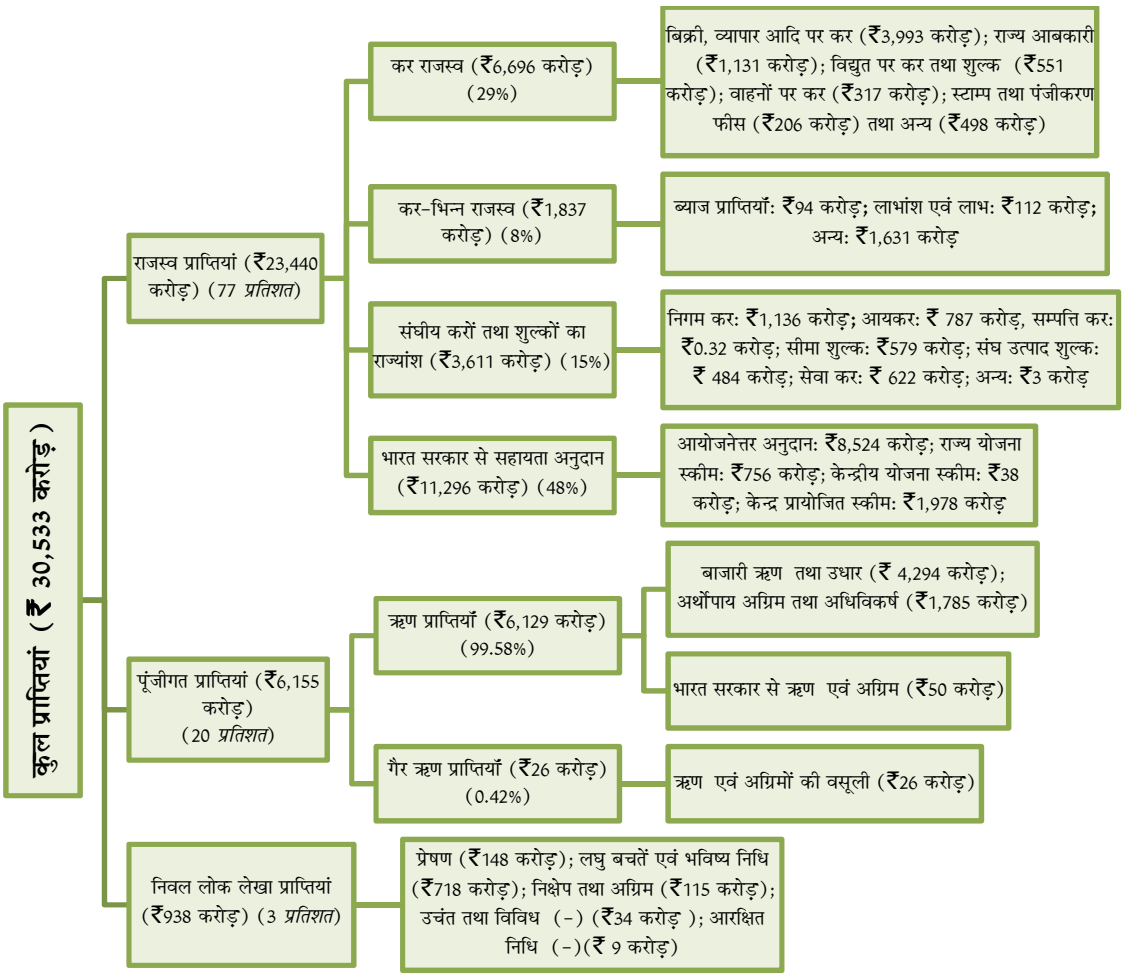

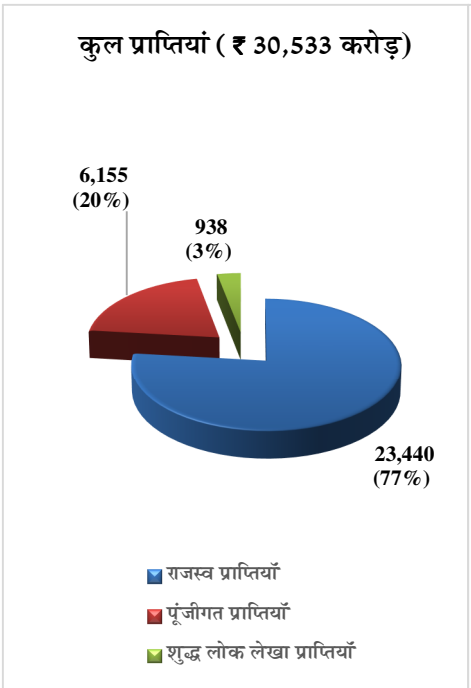

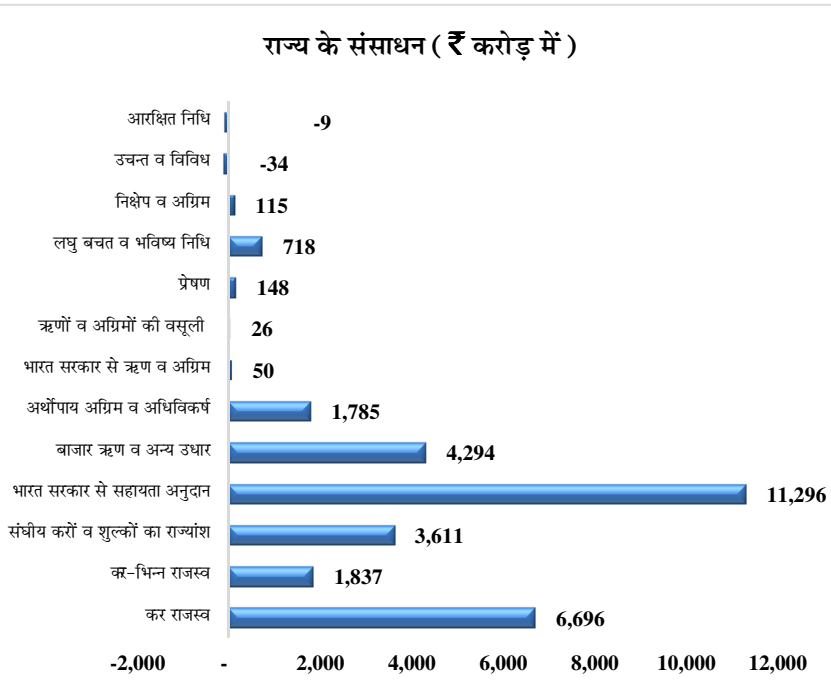

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों के राजस्व तथा पूंजीगत दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ट हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 1.3,** 2011-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है।

जैसाकि **चार्ट 1.2** से स्पष्ट है कि 2015-16 के दौरान ₹ 30,533 करोड़ की कुल प्राप्तियां 77 *प्रतिशत* की राजस्व प्राप्तियों, 20 *प्रतिशत* की पूंजीगत प्राप्तियों तथा तीन *प्रतिशत* की निवल लोक लेखा प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 48 *प्रतिशत,* 29 *प्रतिशत,* 15 *प्रतिशत* तथा 8 *प्रतिशत* था।

(₹ करोड़ में)

चार्ट 1.3: प्राप्तियों की प्रवृत्ति

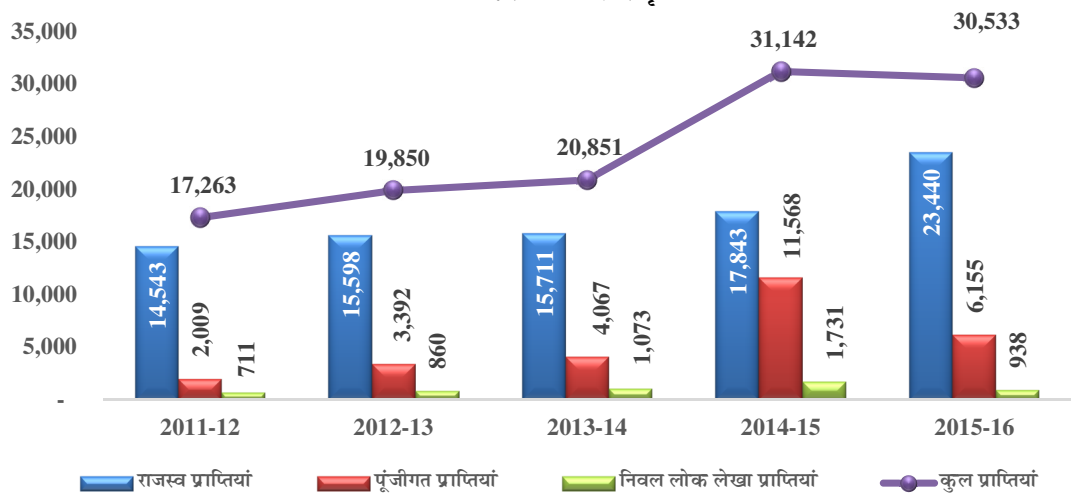

उपर्युक्त **चार्ट 1.3** से स्पष्ट है कि पूँजीगत व शुद्ध लोक लेखे में कम प्राप्तियों के कारण गत वर्ष की तुलना में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 31,142 करोड़ से दो *प्रतिशत* न्यून रूप में घटकर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 30,533 करोड़ रह गयी।

राजस्व प्राप्तियों में 2011-15 के वर्षों के दौरान वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2015-16 में यह ₹ 5,597 करोड़ बढ़ गई जिसका कारण चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संघीय करों/शुल्कों में राज्यांश व भारत सरकार से अनुदानों में ₹ 5,085 करोड़ की वृद्धि रहा। राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 2014-15 वर्ष के 57 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 77 *प्रतिशत* हो गया।

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।

इन निधियों को बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2014-15 व 2015-16 के वर्षों में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियाँ सीधे ही हस्तान्तरित की गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान गत वर्ष की तुलना में प्रत्यक्षत: अन्तरित ये निधियाँ ₹ 278.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 364.57 करोड़ हो गयीं। इन्हें मुख्यत: परिवहन उपदान स्कीम (एच0पी0एस0आई0डी0सी0) (₹153.68 करोड़), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (₹42.50 करोड़), ऑफ ग्रिड डी0आर0पी0एस0 (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) (₹41.03 करोड़) एवं अन्य विविध अभिकरणों (₹127.36 करोड़) को हस्तान्तरित किया गया था (**परिशिष्ट 1.6**)।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2015-16 के दौरान ₹ 364.57 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 41,110 करोड़ से बढ़ कर ₹ 41,475 करोड़ हो गई। इन निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में अभी तक कोई अलग अभिकरण नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण संख्या-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। 2011-16 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का **परिशिष्ट 1.3** में उल्लेख किया गया है तथा इन्हें **चार्ट 1.4** में भी दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

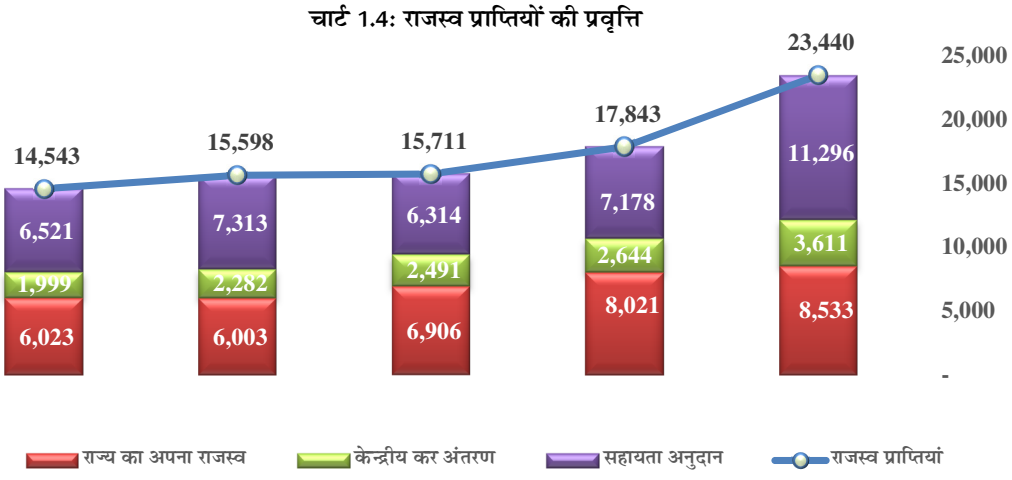

- राजस्व प्राप्तियां 13.46 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2011-12 में ₹ 14,543 करोड़ से निरंतर बढ़कर 2015-16 में ₹ 23,440 करोड़ हो गई। 2015-16 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 31.36 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,597 करोड़ बढ़ गईं।

- 2015-16 के दौरान केवल 37 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियां करों तथा कर-भिन्न राजस्व से राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 63 *प्रतिशत* केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (15 *प्रतिशत*) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 *प्रतिशत*) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आईं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.5** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	14,543	15,598	15,711	17,843	23,440
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	14.41	7.25	0.72	13.57	31.36
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	4,108	4,626	5,121	5,940	6,696
राज्य के अपने करों की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	12.76	12.61	10.70	15.99	12.73
राज्य का *सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (₹ करोड़ में)	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	--	13.16	12.51	9.20	9.30
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद *(प्रतिशत)*	20	18.95	16.97	17.65	21.21
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	--	0.55	0.06	1.48	3.37
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	--	0.96	0.86	1.74	1.37

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 14.41 *प्रतिशत* से निरन्तर घटकर 2013-14 में 0.72 *प्रतिशत* रह गयी लेकिन गत दो वर्षों (2014-16) में इसने सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की। 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 2014-15 के 13.57 *प्रतिशत* से बढ़कर 31.36 *प्रतिशत* हो गईं। यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रभाव के कारण केन्द्रीय अन्तरणों का अधिक आवंटन था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 13.16 *प्रतिशत* से घटकर 2014-15 में 9.20 *प्रतिशत* हो गई लेकिन इसमें गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में 0.1 *प्रतिशत* की मामूली वृद्धि हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता जो वर्ष 2012-14 के दौरान लगातार 0.55 से 0.06 तक घटती रही, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि व सकल राज्य घरेलू उत्पाद की घटती दर के कारण 2014-15 में 1.48 तथा 2015-16 में 3.37 तक बढ़ गई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता में अन्त: वर्षीय भिन्नता देखी गई जो 2014-15 के 1.74 से घटकर राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण 2015-16 में 1.37 तक आ गई।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अत: संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2015-16 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां **तालिका 1.6** में दर्शाई गयी हैं।

[3] *परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।*

तालिका 1.6: प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य का *प्रतिशत* भिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	7,820	6,341	6,696	(-) 14.37	5.60
कर भिन्न राजस्व	1,698	1,507	1,837	8.19	21.90

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से ₹ 1,124 करोड़ (14.37 *प्रतिशत*) कम तथा कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूली 8 *प्रतिशत* अधिक थी। वर्ष 2015-16 के बजट आकलनों/एम0टी0एफ0पी0एस0 की तुलना में कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व दोनों ही 5.60 तथा 21.90 *प्रतिशत* अधिक थे जो यह दर्शाता है कि कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व सम्बन्धी एम0टी0एफ0पी0एस0 प्रक्षेप निम्नतर दिशा में थे।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,477 (18)	2,728 (10)	3,141(15)	3,661(17)	3,993(9)
राज्य आबकारी	707 (26)	810 (15)	952 (18)	1,044(10)	1,131(8)
वाहन कर	176 (8)	196 (11)	208 (6)	220 (6)	317(44)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	155 (17)	173 (12)	188 (9)	190(1)	206(8)
विद्युत कर एवं शुल्क	185(-39)	262(42)	191(27)	333 (74)	551(65)
भू-राजस्व	18 (260)	24 (33)	10 (-58)	17(70)	7(-59)
माल तथा यात्री कर	94 (1)	101 (7)	105 (4)	110(5)	115(5)
अन्य कर	296 (4)	332 (12)	326 (-2)	365(12)	376(3)
योग	**4,108 (13)**	**4,626(13)**	**5,121 (11)**	**5,940 (16)**	**6,696(13)**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

कर राजस्व में वर्ष 2011-16 के दौरान ₹ 2,588 करोड़ (63 *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी हुई और गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹ 756 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़ा। कर राजस्व में सभी करों एवं शुल्कों मुख्यत: (क) विद्युत कर एवं शुल्क में ₹ 218 करोड़ (65 *प्रतिशत*); (ख) वाहन कर में ₹ 97 करोड़ (44 *प्रतिशत*); (ग) वैट के अन्तर्गत कर संग्रहण में वृद्धि के कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 332 करोड़ (9 *प्रतिशत*) तथा (घ) राज्य आबकारी में ₹ 87 करोड़ (8 *प्रतिशत*) की वृद्धि दर्ज की गयी।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति **तालिका 1.8** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
ब्याज प्राप्तियां	**115 (64)**	**70 (-39)**	**119 (70)**	**101(-15)**	**94(-7)**
लाभांश तथा लाभ	**86 (34)**	**100 (16)**	**103 (3)**	**171(66)**	**112(-35)**
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें	**1,714 (10)**	**1,207(- 30)**	**1,563 (29)**	**1,809(16)**	**1,631(-10)**
विविध सामान्य सेवाएं	40 (1900)	9(-78)	6(-33)	3(-50)	19(533)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	104(27)	112(8)	157(40)	161(3)	206(28)
वानिकी तथा वन्य जीवन	107(65)	64(-40)	358(459)	116(-68)	34(-71)

1	2	3	4	5	6
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26(-16)	46(77)	26(-43)	36(38)	33(-8)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	120(5)	148(23)	111(-25)	162(46)	155(-4)
विद्युत	1,146(5)	637(-44)	696(9)	1,122(61)	924(-18)
अन्य	171(-2)	191(12)	209(9)	209 (-)	260(24)
योग	**1,915 (13)**	**1,377 (-28)**	**1,785 (30)**	**2,081(17)**	**1,837(-12)**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।

कर-भिन्न राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 2015-16 में ₹ 244 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी हुई। 2015-16 में अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 10 *प्रतिशत* की कमी देखी गई। कर-भिन्न राजस्व में कमी मुख्यत: वानिकी एवं वन्य जीवन में ₹ 82 करोड़ (71 *प्रतिशत*), विद्युत क्षेत्र में ₹ 198 करोड़ (18 *प्रतिशत*), लाभांश एवं लाभ में ₹ 66 करोड़ (24 *प्रतिशत*) के अन्तर्गत पाई गई।

1.3.1.3 संग्रहण लागत

2015-16 के दौरान बिक्री, व्यापार पर कर के संग्रहण पर व्यय ₹ 3.92 करोड़, राज्य आबकारी पर ₹ 4.15 करोड़, माल तथा यात्री कर पर व्यय ₹ 34.30 करोड़, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस पर ₹ 2.20 करोड़, वाहन कर पर ₹ 6.41 करोड़ तथा विद्युत पर व्यय ₹ 1.79 करोड़ था। राजस्व के सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत क्रमश: 0.10, 0.37, 29.83, 1.07, 2.02 तथा 0.32 था। माल व यात्री कर (29.83) में संग्रहण प्रभारों की प्रतिशतता राजस्व के अन्य शीर्षों की तुलना में अधिक थी।

1.3.2 भारत सरकार से राज्य को अन्तरण

2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल केन्द्रीय अन्तरणों में लगातार वृद्धि (2013-14 को छोड़कर) देखी गई जिसे **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से अन्तरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत सरकार से सहायता अनुदान	6,521	7,313	6,314	7,178	11,296
संघीय करों व शुल्कों में राज्य का अंश	1,999	2,282	2,491	2,644	3,611
राज्यों को कुल केन्द्रीय अन्तरण	**8,520**	**9,595**	**8,805**	**9,822**	**14,907**

केन्द्रीय अन्तरणों की घटक वार स्थिति अनुवर्ती पैरों में दर्शाई गई है।

1.3.2.1 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति **तालिका 1.9 (अ)** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.9 (अ): भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	2,647	2,526	2,025	1,199	8,524
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	3,342	4,179	3,765	4,333	756
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	27	28	17	31	38
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	505	580	507	1,615	1,978
योग	**6,521**	**7,313**	**6,314**	**7,178**	**11,296**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	15.25	12.15	(-)13.66	13.68	57.36
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	45	47	40	40	48

2011-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अुनदान ₹ 6,521 करोड़ से बढ़ कर ₹ 7,313 करोड़ (**तालिका 1.9 व 1.9 (अ)**) हो गए किन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान यह ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6,314 करोड़ हो गए जो कि मुख्यत: तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों में

₹ 554 करोड़ तथा राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदानों में ₹ 414 करोड़ की कमी के कारण हुआ था। 2014-15 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 864 करोड़ बढ़ गए जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 14 *प्रतिशत* वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग के आयोजनेत्तर अनुदानों में ₹ 7,325 करोड़ की बहुत अधिक वृद्धि तथा राज्य योजना स्कीमों में ₹ 3,577 करोड़ की कटौती की गई तथापि भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अुनदान महत्वपूर्ण रूप से ₹ 4,118 करोड़ (57 *प्रतिशत*) बढ़ गए। 2011-16 की अवधि के दौरान इसकी राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिशतता 40 तथा 48 *प्रतिशत* के मध्य थी। 2015-16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदानों में आयोजनेत्तर अनुदानों, राज्य एवं केन्द्रीय योजना स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों का अंशदान क्रमश: 75, 7 तथा 18 *प्रतिशत* था।

1.3.2.2 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अन्तरण चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर ₹ 967 करोड़ (37 *प्रतिशत*) बढ़कर वर्ष 2014-15 के ₹ 2,644 करोड़ से 2015-16 में ₹ 3,611 करोड़ हो गए जैसा कि **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2014-15 के वास्तविक आँकड़े	2015-16 के वास्तविक आँकड़े	भिन्नता
निगम कर	संघीय कर राजस्व की शुद्ध लब्धियों में राज्यांश पहले (2014-15 तक) के 32 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 42 *प्रतिशत* हो गया।	923.41	1,135.61	212.20
आय कर		659.41	786.68	127.27
सम्पत्ति कर		2.50	0.32	(-) 2.18
सीमा शुल्क		427.66	579.13	151.47
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		241.48	484.57	243.09
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		--	2.93	2.93
सेवा कर		389.69	621.90	232.21
आय व व्यय पर अन्य कर		0.02	0.03	0.01
योग		**2,644.17**	**3,611.17**	**967.00**

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति **तालिका 1.11** में दी गई है।

तालिका 1.11: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्त्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत प्राप्तियां	**2,009**	**3,392**	**4,067**	**11,568**	**6,155**
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	(-) 35.81	68.84	19.89	184.44	(-) 46.79
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	650	--
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	25	21	17	41	26
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (केवल ऋण व अग्रिम)	(-) 65.75	(-) 16.00	(-) 19.05	141.18	(-) 36.83
लोक ऋण प्राप्तियां	1,984	3,371	4,050	10,877	6,129
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 17.71	69.91	20.14	168.57	(-) 43.65

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि पूंजीगत प्राप्तियां 2011-12 में ₹ 2,009 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 6,155 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-16 के दौरान विगत वर्ष (2014-15) की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में 46.79 *प्रतिशत* के ह्रास के साथ ₹ 5,413 करोड़ की कमी दर्ज हुई। वर्ष 2015-16 के

दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 4,748 करोड़ (43.65 *प्रतिशत*) तथा ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली में ₹ 15 करोड़ के ह्रास के कारण ऐसा हुआ। पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोतों के ब्यौरे अनुवर्ती पैरों में विवेचित किए गए हैं।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ (हिमफैड), हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगमों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2016 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 2,784 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान केवल ₹ 26 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 53 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति पैरा 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार से ऋण प्राप्तियाँ 2011-12 से 2015-16 तक निरन्तर राज्य सरकार की प्राप्तियों के स्रोत बने रहे।

तालिका 1.12: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बाजार ऋण	1,325 (70)	2,359 (73)	2,367 (59)	2,345 (22)	2,450 (40)
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	279 (14)	471 (15)	617 (15)	1,102 (10)	1,307 (22)
अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	--	--	629 (16)	6,860 (64)	1,785 (29)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	300 (16)	400 (12)	350 (9)	400 (4)	500 (8)
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	--	9 (--)	28 (1)	45 (--)	37 (1)
आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ	1,904	3,239	3991	10,752	6,079
आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ	1,034	2,056	1,639	8,193	3,876

कोष्ठकों के आँकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

जैसे कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट की न्यून आवश्यकता के कारण विगत वर्ष की अपेक्षा आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ घट गयी लेकिन विगत पाँच वर्षों में आन्तरिक ऋण के मुख्य घटक बाजार ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की अपेक्षा बाजार ऋण ₹ 105 करोड़ (4 *प्रतिशत*) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण ₹ 205 करोड़ (19 *प्रतिशत*) बढ़ गए। वर्ष 2015-16 के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 10,752 करोड़ से ₹ 4,673 करोड़ (43 *प्रतिशत*) घटकर ₹ 6,079 करोड़ रह गयीं और आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ भी ₹ 8,193 करोड़ से ₹ 4,317 करोड़ घटकर ₹ 3,876 करोड़ रह गयीं।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

विगत पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति **तालिका 1.13** में दी गई है।

तालिका 1.13: भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अथ शेष	961	947	1,018	1,012	1,070
वर्ष के दौरान प्रदत्त	80	132	59	125	50
वर्ष के दौरान निस्तारण	94	61	65	67	71
अंत शेष	**947**	**1,018**	**1,012**	**1,070**	**1,049**
कुल व्यय की प्रतिशतता	**6**	**5**	**5**	**5**	**4**

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार से राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण व अग्रिमों की प्राप्ति (₹ 49.52 करोड़) 60 *प्रतिशत* घट गयी जो विगत पाँच वर्षों में सबसे कम थी।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति **तालिका 1.14** में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.14: 2014-15 और 2015-16 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,153	3,116	1,968	2,397	1,185	719
आरक्षित निधि	161	235	159	244	02	(-) 9
जमा तथा अग्रिम	2,222	2,408	1,718	2,293	504	115
उचंत तथा विविध	487	617	459	651	28	(-) 34
प्रेषण	4,552	5,139	4,540	4,992	12	147
कुल	**10,575**	**11,515**	**8,844**	**10,577**	**1,731**	**938**

निवल लोक लेखा प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2014-15 के ₹ 1,731 करोड़ से ₹ 793 करोड़ घटकर 2015-16 में ₹ 938 करोड़ रह गई। इस अवधि के दौरान यह ह्रास मुख्यत: लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के अंतर्गत ₹ 466 करोड़ तथा जमा तथा अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 389 करोड़ रहे।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बजट बाधाएं आती हैं। अत: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषत: जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.5 विगत पांच वर्षों (2011-16) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमश: **चार्ट 1.6 तथा चार्ट 1.7** में दर्शाया गया है।

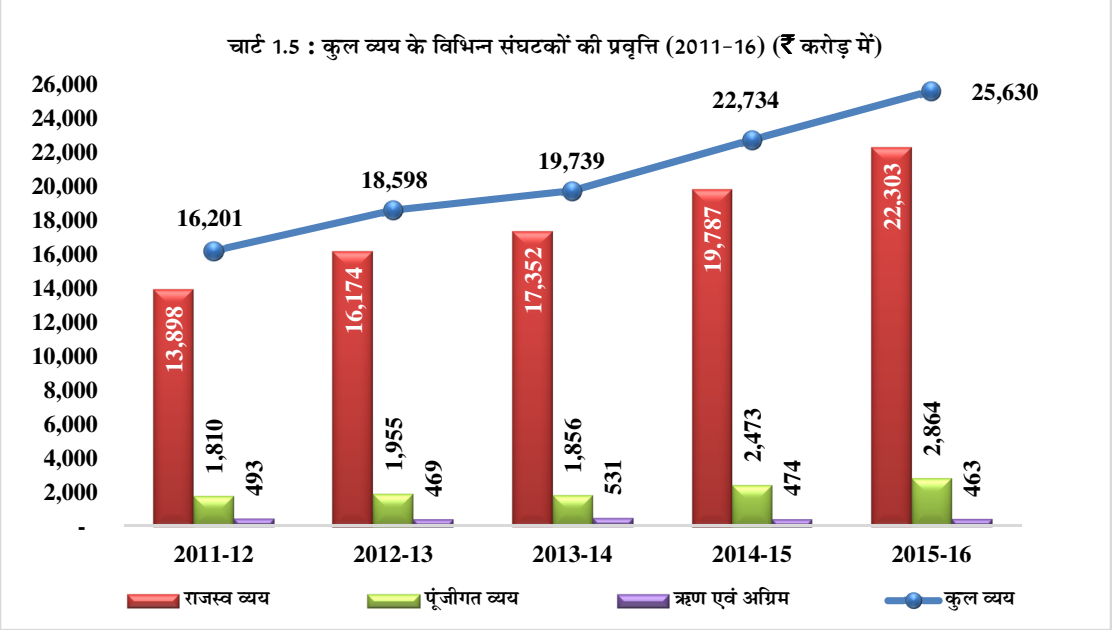

➢ **राज्य का कुल व्यय** 10 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर पर 2011-12 में ₹ 16,201 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 25,630 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 2,896 करोड़ (13 *प्रतिशत*) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹ 2,516 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 391 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

व्यय के इन संघटकों के सापेक्ष अंश की गति से इंगित हुआ कि व्यय के मुख्य संघटकों में अन्त: वर्षीय भिन्नताएँ थीं। अविकासीय समझा जाने वाला सामान्य सेवा (ब्याज भुगतान सहित) व्यय 2011-12 के 35.6 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 36.1 *प्रतिशत* हो गया लेकिन वर्ष 2015-16 में क्रमश: घटकर 34.6 *प्रतिशत* पर आ गया। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय मुख्यत: ब्याज भुगतानों (36 *प्रतिशत*) तथा पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (43 *प्रतिशत*) के कारण था। दूसरी ओर विकास व्यय[4] अर्थात् सामाजिक व आर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2014-15 के 64.1 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में 63.5 *प्रतिशत* हो गया।

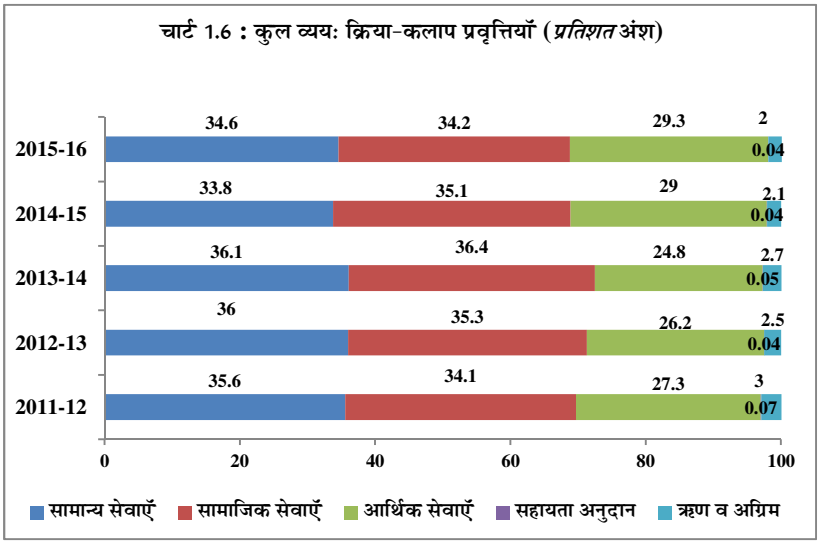

[4] *परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।*

- **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 19,787 करोड़ से ₹ 2,516 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़कर 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया। व्यय वृद्धि मुख्यत: सामान्य सेवाओं पर ₹ 1,184 करोड़ (16 *प्रतिशत*), सामाजिक सेवाओं पर ₹ 529 करोड़ (7 *प्रतिशत*) तथा आर्थिक सेवाओं पर ₹ 801 करोड़ (17 *प्रतिशत*) थी। समग्र वृद्धि ब्याज भुगतान (₹ 306 करोड़), विद्युत (₹ 306 करोड़), ग्रामीण रोजगार (₹ 64 करोड़) एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 49 करोड़) शीर्षों के अन्तर्गत प्रमुख वृद्धि की परिणामी थी। वर्ष 2011-16 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (86 से 88 *प्रतिशत*) में बना रहा और 10 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2015-16 के दौरान यह कुल व्यय का 87 *प्रतिशत* रहा।

चार्ट 1.7 : कुल व्यय: इसके संघटकों के शेयर की प्रवृत्ति

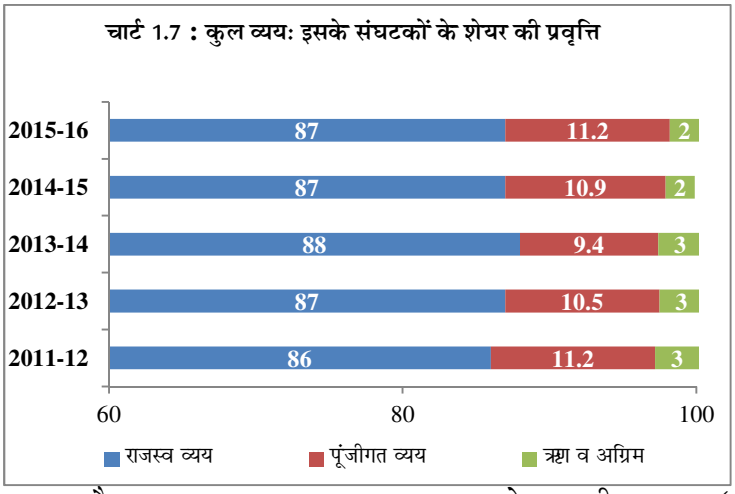

योजनागत राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 289 करोड़ (9 *प्रतिशत*) बढ़ गया और उसने कुल राजस्व व्यय में केवल 12 से 16 *प्रतिशत* का अंशदान किया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 2,227 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़ गया और 2011-16 के दौरान उसका राजस्व व्यय में 84 से 88 *प्रतिशत* का प्रभावी अंश रहा। 2011-16 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की 80 से 95 *प्रतिशत* के प्रभावी अनुपात से **(परिशिष्ट 1.3)** आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में प्रयुक्ति हुई।

2015-16 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.21 *प्रतिशत* तथा राजस्व व्यय का 20.18 *प्रतिशत* रहा। राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 1,137 करोड़ रहा जो कि चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.03 *प्रतिशत* था।

- **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय 2011-13 के वर्षों में ₹ 1,810 करोड़ से ₹ 145 करोड़ बढ़कर ₹ 1,955 करोड़ हो गया लेकिन 2013-14 में ₹ 99 करोड़ घटकर ₹ 1,856 करोड़ हो गया। 2015-16 वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 2,864 करोड़) गत वर्ष 2014-15 (₹ 2,473 करोड़) की तुलना में ₹ 391 करोड़ (16 *प्रतिशत*) बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 299 करोड़) व जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 354 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 265 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 142 करोड़) तथा परिवहन (₹ 1,327 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2015-16 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर 2014-15 के 10.9 *प्रतिशत* से बढ़कर 2015-16 में 11.2 *प्रतिशत* हो गया।

- **ऋण तथा अग्रिम:** 2015-16 में कुल व्यय का ₹ 463 करोड़ (2 *प्रतिशत*) था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 11 करोड़ घट गया।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है। जैसे **तालिका 1.15** से स्पष्ट है कि राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,529 करोड़

(10 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। 2011-16 के वर्षों में राजस्व व्यय का प्रतिबद्ध व्यय लगातार क्रमश: 79, 80, 77, 76 व 74 *प्रतिशत* का प्रमुख भाग रहा। वर्ष 2011-16 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें	6,215 (43)	7,255 (47)	7,545 (48)	8,418(47)	8,174* (35)
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,981	6,999	7,289	8,159	7,826
योजनागत शीर्ष	234	256	256	259	348
ब्याज भुगतान	2,130 (15)	2,370 (15)	2,481 (16)	2,849 (16)	3,155 (13)
पेंशन	2,217 (15)	2,747 (18)	2,855 (18)	2,914 (16)	3,836 (16)
उपदान	465 (3)	567 (4)	467 (3)	801 (4)	1,346 (6)
योग	**11,027**	**12,939**	**13,348**	**14,982**	**16,511**
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	**79**	**80**	**77**	**76**	**74**

** वेतन: ₹ 7,950 करोड़; मजदूरी: ₹ 224 करोड़*

कोष्ठकों के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

(₹ करोड़ में)

चार्ट 1.8: 2011-16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में प्रतिबद्धित व्यय का शेयर

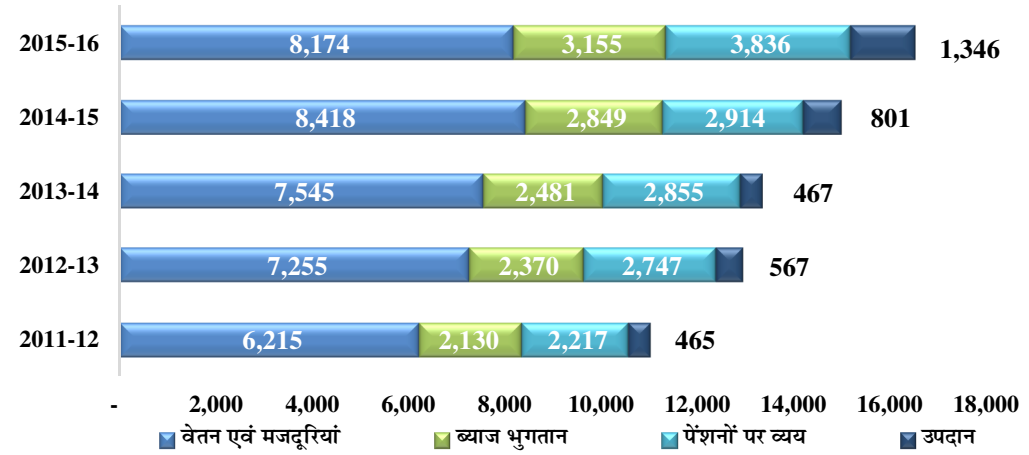

वेतन एवं मजदूरी

2015-16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 244 करोड़ (3 *प्रतिशत*) घट गया और यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 35 *प्रतिशत* था। चालू वर्ष (₹ 7,950 करोड़) में वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 8,285 करोड़) के प्रक्षेपों के अन्तर्गत था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2011-12 में ₹ 2,217 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 3,836 करोड़ तथा गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 922 करोड़ (32 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। वेतन एवं पेंशन भुगतानों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 51 *प्रतिशत* था। चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय चौदहवें वित्त आयोग में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 3,846 करोड़) के अन्तर्गत था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 48 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जो 2011-12 के ₹ 2,130 करोड़ से 2015-16 में ₹ 3,155 करोड़ हो गए तथा गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹ 306 करोड़ (11 *प्रतिशत*)

की वृद्धि हुई। चालू वर्ष हेतु ब्याज भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 3,088 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 2,950 करोड़) से क्रमश: 2 व 7 *प्रतिशत* बढ़ गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधार के कारण था जैसे कि पैरा 1.9.2 में विवरण दिया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। **तालिका 1.15** विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2013-14 को छोड़कर) में सरकार द्वारा प्रदत्त उपदानों में स्पष्ट वृद्धि दर्शाती है। 2015-16 में उपदान ₹ 545 करोड़ बढ़ गए जो कि राजस्व प्राप्तियों का लगभग 6 *प्रतिशत* था। उपदानों के मुख्य संघटक ऊर्जा (₹ 784 करोड़); परिवहन (₹ 235 करोड़), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 168 करोड़) तथा उद्यान (₹ 53 करोड़) थे।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को अवमुक्त किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति **तालिका 1.16** में दी गई है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	संस्था का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	314.89 (1)	405.62 (29)	451.55 (11)	601.03(33)	663.67 (10)
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	122.94 (33)	174.09 (42)	282.33 (62)	211.65 (-25)	321.63 (52)
3.	पंचायती राज संस्थाएं	263.95 (3)	282.09 (7)	353.54 (25)	810.37(129)	926.72 (14)
4.	विकास अभिकरण	46.72 (-10)	38.72 (-17)	65.96 (70)	63.52(-4)	80.53 (27)
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	69.70 (45)	87.77 (26)	94.63 (8)	216.24 (129)	277.14 (28)
6.	अन्य संस्थाएं	162.89 (82)	214.82 (32)	189.87 (-12)	253.37 (33)	342.58 (35)
	योग	**981.09 (16)**	**1,203.11 (23)**	**1,437.88 (20)**	**2,156.18 (50)**	**2,612.27 (21)**
	सहायता अनुदानों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	7.06	7.43	8.28	10.90	11.71

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े
कोष्ठकों के आँकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

2011-16 की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति सामने आई। यह अनुदान विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2015-16) के दौरान ₹ 456.09 करोड़ (21.15 *प्रतिशत*) तक बढ़ गये। वर्ष 2015-16 के दौरान सहायता अनुदानों में वृद्धि मुख्यत: नगर निगमों व नगरपालिकाऐं (₹ 109.98 करोड़) (52 *प्रतिशत*), अस्पतालों व अन्य दातव्य संस्थाओं (₹ 60.90 करोड़) (28 *प्रतिशत*), विकास अभिकरणों (₹ 17 करोड़) (27 *प्रतिशत*) तथा पंचायती राज संस्थाओं (₹ 116 करोड़) (14 *प्रतिशत*) को अधिक अनुदान अवमुक्त करने के कारण थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यत: इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को समनुदेशित सामाजिक क्षेत्र व आर्थिक मूलाधार से सम्बद्ध व्यय दायित्व अधिकांशत: राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य

सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस सेक्टर को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

तालिका 1.17 (क) वर्ष 2012-13, 2014-15 व चालू वर्ष 2015-16 में विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएं विश्लेषित करती है।

तालिका 1.17 (क): 2012-13, 2014-15 व 2015-16 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

***(प्रतिशत* में)**

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स.व./ स.रा.घ.उ.	वि.व.[#]/ स.व.	सा.क्षे.व./ स.व.	आ.क्षे.व./स.व.	प.व./स.व.	शि./स.व.	स्वा./स.व.
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13 *	22.23	69.92	38.42	31.50	15.53	20.86	5.58
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	22.60	63.93	35.31	28.62	10.51	19.27	5.41
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15 *	23.80	71.77	40.29	31.49	15.27	21.04	5.90
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014-15	22.48	66.15	35.08	31.07	10.88	18.81	5.71
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16 *	21.66	70.41	39.78	30.63	13.95	20.63	6.41
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015-16	23.19	65.27	34.22	31.04	11.17	17.29	5.53

स.व.: सकल व्यय, स.रा.घ.उ.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वि.व.: विकास व्यय, सा.क्षे.व.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, प.व.: *पूंजीगत व्यय,* शि: शिक्षा, स्वा: स्वास्थ्य
*# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय व संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है। * जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त*
स्रोत: 29 जुलाई 2016 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना तथा राज्यों द्वारा आपूरित

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा व्यय के एक विशेष वर्गीकरण के लिए दी गई प्राथमिकता को संदर्भित है। 2012-13 तथा 2014-15 के साथ 2015-16 में हुए व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत् दर्शाता है:

- 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकार का सकेमित व्यय 22.60 *प्रतिशत* था जो 2014-15 में थोड़ा सा 22.48 *प्रतिशत* तक घट गया। तथापि 2015-16 में यह 23.19 *प्रतिशत* था जो कि विगत वर्ष से 0.71 *प्रतिशत* अधिक तथा विशेष श्रेणी राज्यों (21.66 *प्रतिशत*) से 1.53 *प्रतिशत* अंक उपर है।
- समेकित व्यय में विकास व्यय की प्रतिशतता 2012-13 के 63.93 *प्रतिशत* से 2014-15 में 2.22 *प्रतिशत* अंक बढ़ गई किंतु 2015-16 (65.27 *प्रतिशत*) में 0.88 *प्रतिशत* अंक तक घट गई जो कि विशेष श्रेणी राज्य के 70.41 *प्रतिशत* से कम है और चिंता का विषय है।
- राज्य में समेकित व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय, विशेष श्रेणी राज्य से 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमश: 3.11, 5.21 तथा 5.56 *प्रतिशत* अंक कम था।
- समेकित व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय विगत वर्ष से 2015-16 में 0.29 *प्रतिशत* अंकों से थोड़ा बढ़ गया किंतु विशेष श्रेणी राज्य के औसत से 2.78 *प्रतिशत* अंकों से कम रहा।
- 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के दौरान शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत अनुपात विशेष श्रेणी राज्य के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता व इसकी प्रभावशीलता

तालिका 1.17 (ख) के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2015-16 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमश: ₹ 106 करोड़ (2 *प्रतिशत*) एवं ₹ 95 करोड़ (5 *प्रतिशत*) की कमी हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में ₹ 186 करोड़ (25 *प्रतिशत*) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 19 करोड़ (2 *प्रतिशत*) का ह्रास हुआ। 2015-16 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय क्रमश: 0.03 तथा 0.08 रहा जो कि खेद का विषय है।

तालिका 1.17 (ख): विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2014-15	22,734	**सामाजिक सेवाएं**	7,451	522	0.02	4,882	744
		आर्थिक सेवाएं	4,723	1,868	0.08	2,006	1,166
2015-16	25,630	**सामाजिक सेवाएं**	7,980	792	0.03	4,776	930
		आर्थिक सेवाएं	5,525	1,984	0.08	1,911	1,147

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हि0प्र0 से वाऊचर स्तर कम्प्यूटरीकरण

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2016 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना **तालिका 1.18** में दी गई है। मात्र वे परियोजनाएं अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं जिनमें कार्य समापन की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2016 तक पूर्ण हो चुकी थी।

तालिका 1.18: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2016 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	10	95.54	58.69	121.34
भवन एवं सड़कें (लोक निर्माण कार्य)	02	24.60	--	21.21
योग	**12**	**120.14**		**142.55**

स्रोत: वित्त लेखे

अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बंध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की केवल 5 परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जहां ₹ 3.98 करोड़ की लागत वृद्धि थी। ये परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा मार्च 2012 के मध्य पूरी की जानी थीं। कार्यों की भौतिक प्रगति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी

12 परियोजनाओं का 75 से 99 *प्रतिशत* के मध्य कार्य पूर्ण हुआ था तथा 11 वर्षों तक की समय वृद्धि हो चुकी थी।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2016 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 3,041 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका 1.19 (क)**)। निवेश पर औसत प्रतिफल 4.10 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने 2011-16 के दौरान अपने उधारों पर 7.89 *प्रतिशत* की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.19 (क): निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	औसत 2011-16
वर्षांत में निवेश	2,448	2,767	3,025	2,732	3,041	--
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज)	85.65	100.09	103.42	171.00	111.94	--
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	3.50	3.62	3.42	6.26	3.68	4.10
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	7.80	8.08	7.71	7.91	7.95	7.89
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (*प्रतिशत*)	4.30	4.46	4.29	1.65	4.27	3.79

स्रोत: वित्त लेखे

यद्यपि गत वर्ष 2014-15 (₹ 2,732 करोड़) की तुलना में सरकारी निवेश 2015-16 (₹ 3,041 करोड़) में 11.31 *प्रतिशत* बढ़े तथा निवेशों के प्रतिफल 2011-15 में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2011-12 में ₹ 85.65 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 171 करोड़ हो गये लेकिन 2015-16 के दौरान ₹ 59.06 करोड़ घट गए। विगत पांच वर्षों (2011-16) में मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था। लाभान्वित प्रमुख सरकारी कम्पनियों में, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 1,875.61 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,020.37 करोड़), हिमाचल प्रदेश एग्रो-इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (₹ 78.23 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 77 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड (₹ 48.27 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 41.06 करोड़) थे।

1.8.2.1 उदय स्कीम का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय एवं परिचालन क्षमता में सुधार के लिए उज्ज्वल वितरण बीमा योजना (उदय) स्कीम आरंभ की गई है। यह ब्याज भार, विद्युत लागत तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने का उल्लेख करती है। परिणामस्वरूप डिस्कॉम लंबे समय तक पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति कर सकेगा जिससे 24X7 विद्युत आपूर्ति सक्रिय रहेगी। स्कीम में प्रावधान है कि राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम के 75 *प्रतिशत* ऋण (30 सितंबर, 2015 तक) हाथ में ले सकेंगे अर्थात् 2015-16 में लिए गए 50 *प्रतिशत* ऋण तथा 2016-17 में लिए गए 25 *प्रतिशत* ऋण। एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम) के मध्य हस्ताक्षर किए जाने हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की संचित हानि ₹ 2,218 करोड़ थी जबकि 30.09.2015 तक बकाया डिस्कॉम ऋण स्तर ₹ 4,617.85 करोड़ तक पहुंच गया था।

इस सन्दर्भ में, हिमाचल प्रदेश सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने (अगस्त 2016) तथा सितम्बर 2015 तक बकाया हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के 75 *प्रतिशत* ऋण के बैक-टू-बैक ऋण आधार पर पुनर्गठन द्वारा, जिसमें समस्त हिमाचल प्रदेश सरकार उदय प्रतिभूति प्राप्तियां राज्य सरकार ऋण

के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को हस्तांतरित की जाएंगी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से उदय स्कीम को लागू करने पर सहमत हो गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित पर तय समय सीमा के अनुसार राज्य ऋण को वापिस करने की बाध्यता रहेगी।

चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय स्कीम 2016-17 से आरम्भ की जानी है, अत: 2015-16 के दौरान राज्य के राजकोषीय सूचकों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।

1.8.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति निर्मित की थी (अगस्त 1982) जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3 *प्रतिशत* न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना था। मन्त्रि-परिषद् ने 8 अप्रैल 2011 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) वित्त वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में करोपरान्त लाभ के 50 *प्रतिशत* सीमांकन की शर्त पर सरकारी इक्विटी पर 5 *प्रतिशत* प्रतिफल की अदायगी कर सकते हैं। यह राशि नवीनतम रूप से अनुवर्ती वर्ष के जून माह के अन्त तक सरकारी कोषागार में जमा की जानी थी तथा विहित था कि लाभ अर्जित करने वाले सभी उपक्रम निर्धारित प्रतिफल भविष्य में भी भुगतान करते रहेंगे। 31 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रमों में राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1,807.51 करोड़ थी।

तालिका 1.19 (ख): प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम (संख्या)	सकल योग (संख्या)
	कार्यशील कम्पनियां (संख्या)	अकार्यशील कम्पनियां (संख्या)		
प्रदत्त शेयर पूंजी	1,116.44 (17)	16.75 (2)[5]	674.32 (2)	1,807.51 (21)

31 मई 2016 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार स्थिति निम्नाँकित चार्ट तथा **परिशिष्ट 1.7** में दी गई है:

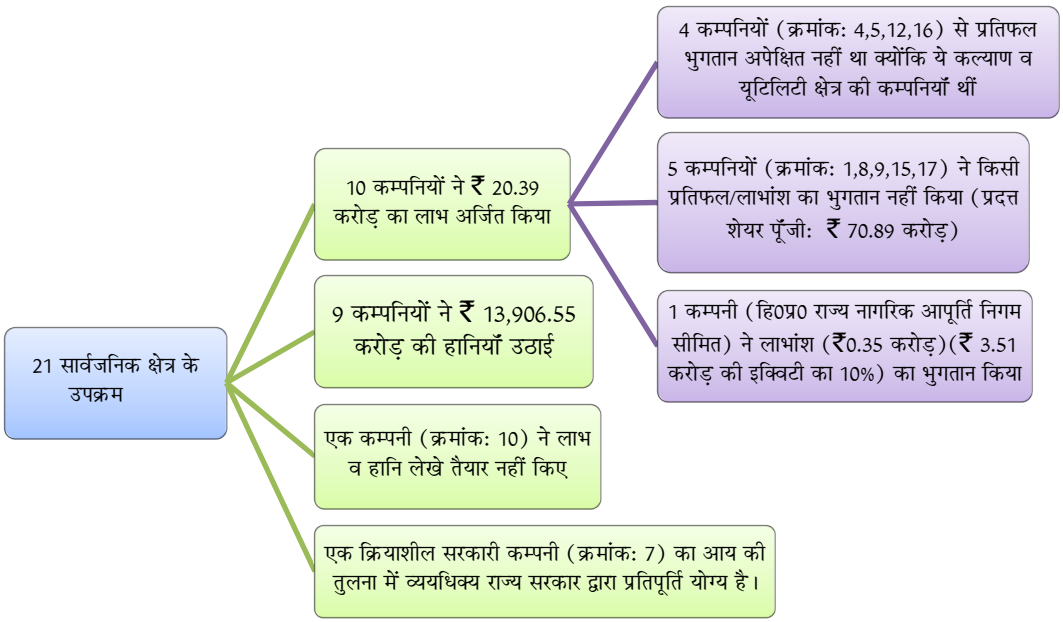

[5] *दो कम्पनियों (एग्रो-इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्ज लिमिटेड) में से एक कम्पनी अर्थात् हिमाचल वर्स्टेड मिल्ज़ लिमिटेड परिसमापनाधीन थी।*

अत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 तक निवेशित ₹ 1,807.51 करोड़ की इक्विटी पर इसने मात्र ₹ 0.35 करोड़ का प्रतिफल अर्जित किया जो कि मई 2016 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 0.02 *प्रतिशत* था।

1.8.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2016 तक आरम्भ की गई 23 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से 9 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और सौंपी गई 14 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि **परिशिष्ट 1.8** में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। **तालिका 1.20** में 31 मार्च 2016 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अथशेष	483	951	1,399	1,913	2,346
वर्ष के दौरान दी गई राशि	493	469	531	474	463
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	25	21	17	41	25
अंत शेष	**951**	**1,399**	**1,913**	**2,346**	**2,784**
निवल वृद्धि	468	448	514	433	438
ब्याज प्राप्तियां	21	14	15	65	53
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.21	1.19	0.78	2.77	1.90
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति *प्रतिशत* के रूप में ब्याज अदायगियां	8.06	8.39	8.15	8.41	8.26
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर (*प्रतिशत*)	(-) 5.85	(-) 7.20	(-) 7.37	(-) 5.64	(-) 6.36

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 1.20** से अवलोकित होता है कि 31 मार्च 2016 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 2,784 करोड़ थी। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त ₹ 463 करोड़ के अग्रिम के प्रति केवल ₹ 25 करोड़ लौटाए गए। अधिकांश ऋण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों (₹ 412.26 करोड़) व कृषि कर्म (₹ 26.09 करोड़) को दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था जो 2014-15 के दौरान 5.64 *प्रतिशत* था जो चालू वर्ष में बढ़कर 6.36 *प्रतिशत* हो गया। 2015-16 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों का प्रतिफल 1.90 *प्रतिशत* प्राप्त किया तथापि, इस अवधि के दौरान उसने उधारों पर औसतन 8.26 *प्रतिशत* ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2015-16 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति **तालिका 1.21** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.21: ऋण एवं अग्रिम

ऋणी-इकाईयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	3	0.35	ब्याज मुक्त	--
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ	4	26.09	ब्याज मुक्त	--
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	12	327.26	10 *प्रतिशत*	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	5	85.00	10 *प्रतिशत*	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	5	11.05	8.5 *प्रतिशत*	7 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	--	13.42	--	--
योग	**29**	**463.17**		

स्रोत: वित्त लेखे

₹ 463.17 करोड़ में से ₹ 26.44 करोड़ की राशि के ऋण ब्याज मुक्त, ₹ 412.26 करोड़ के ऋण 10 *प्रतिशत* की दर पर तथा ₹ 11.05 करोड़ के ऋण 8.5 *प्रतिशत* की दर पर प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 13.42 करोड़ के ऋण सरकारी कर्मचारियों को दिए गए। राज्य सरकार की ऋण स्थगन अवधि पांच से सात वर्षों के मध्य थी।

1.8.3.1 शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/देना

2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ₹ 18.48 करोड़ की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई थी। ब्यौरे **तालिका 1.22** में दिये गए हैं।

तालिका 1.22: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण जिनके लिए शर्तें एवं निबंधनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना हैं

क्रमांक	ऋणी-इकाई	ऋणों की संख्या	कुल राशि (₹ करोड़ में)	आरंभिक अवधि जिससे बकाया सम्बंधित है
1.	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम	1	2.54	2013-14
2.	नगर निगम शिमला	1	2.00	2008-09
3.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम	8	0.76	2013-14
4.	हि0प्र0 ऐग्रो उद्योग व हि0प्र0 बागवानी उत्पाद विपणन व विधायी निगम सीमित	7	13.18	2009-10
	योग	**17**	**18.48**	

स्रोत: वित्त लेखे

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.23 नकद शेष और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.23: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2015 तक	31 मार्च 2016 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	-	-	
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	-	-	
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 739.51	(-) 340.76	398.75
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	-	556.80	
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
योग (क+ख)	**(-) 739.32**	**216.23**	**955.55**
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	-	556.80	
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	6,675.64	7,650.79	975.15
(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिवार ब्यौरा	-	-	
(ङ) वसूल किया गया ब्याज	**9.90**	**39.59**	**29.69**

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 11.11.2013 से ₹ 285 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के रेहन के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमत हो चुका है।

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 2 (**अनुबंध-क**) व 17 के अनुसार वर्ष 2014-15 के अन्त में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्षों में ₹ 533.77 करोड़ लम्बित थे। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार 334 दिन तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। उसे भारतीय रिजर्व बैंक से 25 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम (₹ 884.17 करोड़) व 6 अवसरों पर अधिविकर्ष (₹ 901.23 करोड़) लेकर ₹ 1,785.40 करोड़ लेने पड़े। कुल ₹ 2,319.18 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों में से वर्ष 2015-16 के दौरान समस्त राशि की अदायगी कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2014-15 में ₹ (-) 739.32 करोड़ से ₹ 955.55 करोड़ बढ़कर 2015-16 में ₹ (-) 216.23 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में 2015-16 में ब्याज आय ₹ 29.69 करोड़ बढ़ गयी।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2016 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2015 को उनकी तदनुरूपी स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यत: आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2015-16 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,257.29 करोड़ (16.47 *प्रतिशत*) बढ़ीं जबकि दायित्व ₹ 3,119.62 करोड़ (8.06 *प्रतिशत*) बढ़े। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2011-12 के 70 *प्रतिशत* से बढ़कर 2015-16 में 72 *प्रतिशत* हो गया जो कि 2014-15 में 67 *प्रतिशत* था।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की 2011-12 से 2015-16 तक के पांच वर्षों के बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति **परिशिष्ट 1.3** व **तालिका 1.24** में दर्शाई गई है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **चार्ट 1.9** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.24: राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	28,228	30,442	33,884	38,192	41,197
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	6.86	7.84	11.31	12.71	7.87
राजकोषीय देयताओं का अनुपात से					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (*प्रतिशत*)	38.82	36.99	36.60	37.77	37.28
राजस्व प्राप्तियां (*प्रतिशत*)	194.10	195.17	215.67	214.04	175.76
अपने संसाधन (*प्रतिशत*)	468.67	507.11	490.65	476.15	482.80
राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता से					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	0.60	0.90	1.38	0.85
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.48	1.08	15.71	0.94	0.25
अपने संसाधन (अनुपात)	0.53	(-) 23.76	0.75	0.79	1.24

**आधार वर्ष 2011-12 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद*

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2011-12 के ₹ 28,228 करोड़ से ₹ 12,969 करोड़ (46 *प्रतिशत*) बढ़कर 2015-16 में ₹ 41,197 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 27,910 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 16,860 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,049 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 10,001 करोड़, जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर ₹ 7,651 करोड़) समाविष्ट हैं।

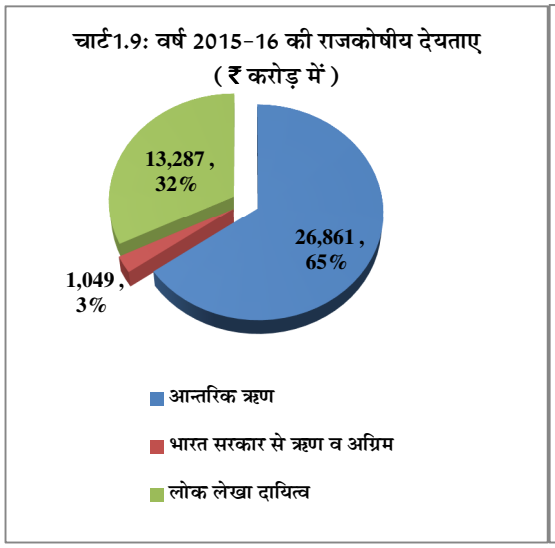

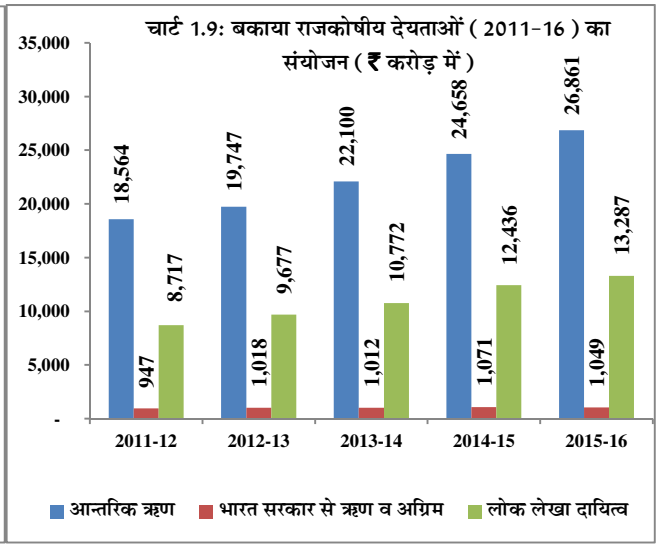

लोक लेखा देयताओं (₹ 13,287 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 10,640 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 2,428 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 219 करोड़) समाविष्ट हैं।

2015-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 8 *प्रतिशत* थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2011-12 में 38.82 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 36.60 *प्रतिशत* हो गया लेकिन 2014-15 में मामूली रूप से बढ़कर 37.77 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2015-16 में यह 2014-15 वर्ष के 37.77 प्रतिशत से घटकर 37.28 *प्रतिशत* हो गया। ये देयताएं 2015-16 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.76 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 4.83 गुना थी। 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजकोषीय दायित्वों का उत्प्लावकता अनुपात 0.85 रहा। यह राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से कम होने का सूचक है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2016 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 219.32 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 0.71 करोड़ (जमा) थी तथा इस निधि का ब्याजरहित अंश ₹ 218.62 करोड़ (जमा) था।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें अर्थात (i) बकाया दायित्वों के ऋणशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासी एक समेकित ऋणशोधन निधि का सृजन ताकि वे मुक्त बाजार से लिए गए ऋणों की किश्तें चुकता कर सकें तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि का सृजन। इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

1.9.3.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 *प्रतिशत* की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 41,197 करोड़ थे। यदि समेकित ऋणशोधन निधि होती तो राज्य सरकार की वर्ष 2015-16 में इस निधि में देयता ₹ 190.96 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.5 *प्रतिशत*) हुई होती। अत: राजस्व व राजकोषीय घाटा उस सीमा तक न्यूनोक्त रहा।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 *प्रतिशत* की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। परिणामत: 31 मार्च 2016 को ₹ 21.41 करोड़ का राजस्व व राजकोषीय घाटा न्यूनोक्त रहा।

1.9.3.3 अप्रचालनीय आरक्षित निधियां

राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया था कि ₹ 1.54 करोड़ के संचित शेष वाली दो आरक्षित निधियां अर्थात मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधियां-103-अवमूल्यन आरक्षित निधियां-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि-101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की अवमूल्यन आरक्षित निधियां (₹ 1.53 करोड़) वर्ष 1971 से अप्रचालित रहीं। बावजूद इसके राज्य सरकार ने इन निधियों के प्रचालनार्थ या बन्द करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियां[6] आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के विवरण-20 के अनुसार विगत पाँच वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका-1.25** में दी गई हैं।

तालिका 1.25: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गारंटियों की बकाया राशि (₹ करोड़ में)	3,316	3,353	4,333	4,281	3,714
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	26	23	28	27	21

चालू वर्ष के दौरान गारंटियों की बकाया ₹ 3,714 करोड़ की राशि विद्युत क्षेत्र (₹ 2,651 करोड़), तीन सांविधिक बोर्डों/निगमों (₹ 707 करोड़), सात सरकारी कम्पनियों (₹ 100 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 227 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹ 24 करोड़) और एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) से सम्बंधित है। चालू वर्ष के दौरान गारंटी जारी नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान कंफर्ट पत्र जारी करने के सम्बंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.26: ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	ब्यौरे	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	**आन्तरिक ऋण**	**18,564 (95)**	**19,747 (95)**	**22,099 (96)**	**24,658 (96)**	**26,861 (96)**
	(i) बाजार ऋण	10,147 (52)	11,809 (57)	13,565 (59)	15,196 (59)	16,860 (60)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	--	--	285 (1)	285 (1)	--
	(iii) अधिविकर्ष	--	--	171 (1)	249 (1)	--
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,354 (17)	2,589 (12)	2,306 (10)	2,252 (9)	2,350 (8)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	5,063 (26)	5,349 (26)	5,772 (25)	6,676 (26)	7,651 (28)
2.	**भारत सरकार से ऋण**	**947 (5)**	**1,018 (5)**	**1,012 (4)**	**1,071 (4)**	**1,049 (4)**
कुल लोक ऋण:		**19,511**	**20,765**	**23,111**	**25,729**	**27,910**
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
0 - 1		1,496.44(8)	1,533(8)	1,923(8)	2,046 (8)	2,268(8)
1 - 3		3,408.68(17)	2,946(14)	3,514(15)	4,837(19)	6,236(22)
3 - 5		2,853.82(15)	4,349(21)	5,470(24)	4,929(19)	4,331(16)
5 - 7		4,291.81(22)	4,380(21)	3,162(14)	3,192(12)	4,339(16)
7 या उससे ऊपर		7,459.94(38)	7,557(36)	9,042(39)	10,725(42)	10,736(38)

कोष्ठकों के आंकड़े कुल लोक ऋण की प्रतिशतता इंगित करते हैं।

कुल लोक ऋण 2011-12 के ₹ 19,511 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 27,910 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 8.42 *प्रतिशत* दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश

[6] *परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।*

2011-12 के 52 *प्रतिशत* से लगातार बढ़ते हुए 2015-16 में 60 *प्रतिशत* हो गया। चालू वर्ष (2015-16) के दौरान कुल लोक ऋण गत वर्ष से 8.48 *प्रतिशत* बढ़ गया।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा इंगित करती है कि 8 *प्रतिशत* (₹ 2,268 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में चुकता करने योग्य है। अड़तीस *प्रतिशत* (₹ 10,567 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में चुकता किए जाने हैं जबकि शेष 54 *प्रतिशत* (₹ 15,075 करोड़) पांच वर्षोपरि अवधि में चुकता करने पड़ेंगे जो उस अवधि के सरकारी बजट पर बोझ डालेंगे। यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 62 *प्रतिशत* ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है और 'ऋण जाल' की तरफ राज्य को धकेल रही है।

विगत पाँच वर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण को दर्शाने वाला विश्लेषण **तालिका 1.27** में दिया गया है।

तालिका 1.27: प्रति व्यक्ति ऋण

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6901	0.6962	0.7023	0.7084	0.7147
कुल ऋण (₹करोड़ में)	28,228	30,442	33,884	38,192	41,197
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹में)	40,904	43,726	48,247	53,913	57,642

स्रोत: वित्त लेखे व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

उपर्युक्त तालिका प्रति व्यक्ति ऋण की 2011-12 में ₹ 40,904 से 2015-16 में ₹ 57,642 की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है (पाँच वर्षीय अवधि में 41 *प्रतिशत* वृद्धि)। गत वर्ष की तुलना में यह 2015-16 में ₹ 3,729 (7 *प्रतिशत*) बढ़ गया।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता[7] को निश्चित करते हैं। वर्ष 2011-12 से आरम्भ करते हुए पांच वर्षों की अवधि हेतु राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों की भिन्नताओं का विश्लेषण **तालिका 1.28** में दिया गया है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया ऋण की वृद्धि दर	6.86	7.84	11.31	12.71	7.87
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	--	13.16	12.51	9.20	9.30
बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	38.82	36.99	36.60	37.77	37.28
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (%)	7.80	8.08	7.71	7.91	7.95
ब्याज भुगतानों का भार (ब्याज/राजस्व प्राप्ति) (%)	14.65	15.19	15.79	15.97	13.46
ऋण अदायगी/ऋण (%)	56.85	62.80	42.07	75.94	64.42
राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण (₹ करोड़ में)	(-) 292	(-) 134	961	1,459	(-) 149

उपर्युक्त **तालिका 1.28** से प्रकट होता है कि

- बकाया ऋण की वृद्धि दर ने 2011-15 के वर्षों में वृद्धिकारी प्रवृत्ति जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई। वर्ष 2015-16 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर लगभग 5 *प्रतिशत* घट गयी क्योंकि राज्य ने इस अवधि के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्ष का कम आश्रय लिया। ऐसा चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य को भारी केन्द्रीय आवंटन के कारण हुआ।

[7] *परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें*

- 2011-16 वर्षों के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही।
- 2011-15 वर्षों के दौरान राज्य की लगभग 15-16 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियाँ ब्याज-भुगतानों के लिए प्रयुक्त की गईं। वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 13.46 *प्रतिशत* रहा।
- 2011-16 वर्षों के दौरान ऋण प्राप्तियों के 42.07 से 75.94 *प्रतिशत* उनकी चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किए गए जिससे कुल उधारों से विकास कार्य-कलापों के लिए अल्प मात्रा में ऋण प्राप्तियाँ उपलब्ध हुईं।
- चुकौतियों (ब्याज शामिल करते हुए) का प्रावधान करने के पश्चात् ऋण से उपलब्ध शुद्ध निधियाँ 2011-12 में ₹ 292 करोड़ व 2012-13 में ₹ 134 करोड़ की ऋणात्मक निधि उपलब्धता के प्रति 2013-14 में धनात्मक होकर ₹ 961 करोड़ व 2014-15 में ₹ 1,459 करोड़ हो गयीं। वर्ष 2015-16 के दौरान यह पुन: ऋणात्मक (₹ 149 करोड़) हो गयी अर्थात् राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ उसके ब्याज भार व प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी।

1.10.3.1 एच.पी.एफ.आर.बी.एम.ऐक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन

एच.पी.एफ.आर.बी.एम.ऐक्ट, 2005 में नियत है कि उधार स्वधारणीय विकास क्रियाकलापों या पूंजीगत परिसम्पत्तियों के संवर्धन पर प्रयुक्त किए जाने हैं और उन्हें चालू व्यय के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाना हैं। सरकार ने प्रत्येक ऋण पर यह लक्ष्य अधिसूचित किया कि ऋण की राशि विकास स्कीमों जैसे विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन, उद्योग आदि के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की जाएगी जोकि विशेष रूप से राज्य के कमजोर वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के हित में है और जिसका लोगों की आजीविका व सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रमुख दीर्घकालिक प्रभाव होगा। सरकार ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए उपर्युक्त लक्ष्य से जो उधार बाजार से जुटाए उनकी वर्षबद्ध स्थिति **तालिका 1.29** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.29: वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार ऋणों व अदायगी के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण की राशि				
	जुटाए गए	अदायगी के प्रयोजन हेतु		व्यय के प्रयोजन हेतु	
		राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*
2011-12	1,325	403	30	922	70
2012-13	2,360	698	30	1,622	70
2013-14	2,367	611	26	1,756	74
2014-15	2,345	714	30	1,631	70
2015-16	2,450	786	32	1,664	68

स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के वित्त लेखे

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के वित्त में विगत दायित्वों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा नवीन बाजार उधारों के उपयोग का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी 2015-16 के दौरान सरकार ने परिपक्व बाजार ऋणों की अदायगी हेतु 32 *प्रतिशत* नवीन उधारों का उपयोग किया। इस प्रकार नवीन ऋणों का भुगतान इन ऋणों के लक्ष्यों को विफल करने के अलावा एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट के उपबन्धों के विपरीत था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है।

यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटों का प्रवाह

2011-16 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) के प्रवाह को **तालिका 1.30 व चार्ट 1.10 एवं 1.11** में दर्शाया गया हैं:

तालिका 1.30: घाटों का प्रवाह

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
घाटे (₹ करोड़ में)					
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-)1,944	1,137
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (*प्रतिशत*)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+) 0.89	(-) 0.70	(-)1.77	(-) 1.92	1.03
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.25	(-) 3.62	(-) 4.33	(-) 4.15	(-) 1.96
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+) 0.68	(-) 0.74	(-) 1.65	(-) 1.34	0.90

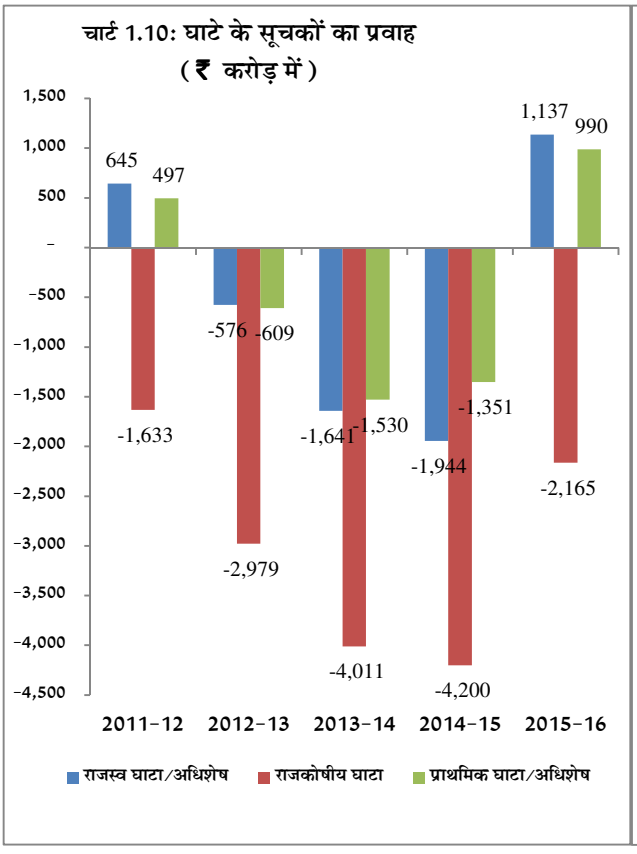

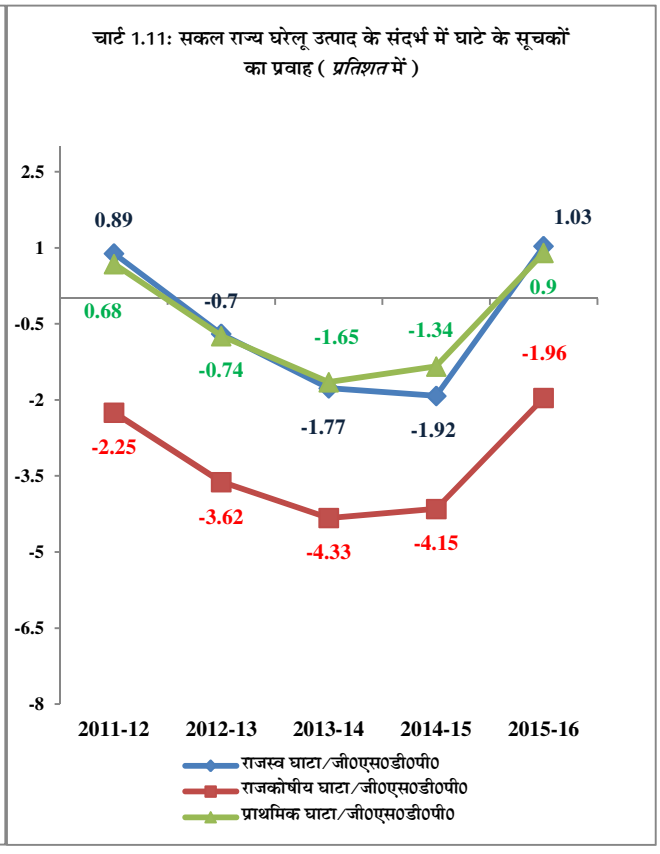

एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट/तेरहवें वित्त आयोग के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 में कम करके शून्य पर लाना तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बरकरार रखा जाना अपेक्षित था तथापि वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटे को कम करके शून्य पर लाने के लक्ष्य को लब्ध कर लिया गया था लेकिन इसे तत्पश्चात् बरकरार

नहीं रखा जा सका और राज्य ने घाटे के समस्त सूचकों में वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में भारी घाटे की स्थिति अनुभूत की।

वर्ष 2014-15 में ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में 13 *प्रतिशत* की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 31 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि के कारण ₹ 1,137 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधारों का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा कुल संसाधन अन्तराल है वर्ष 2011-12 के ₹ 1,633 करोड़ से सीधे बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 4,200 करोड़ हो गया तथा तत्पश्चात् मुख्यत: संघीय करों में हिस्सेदारी व भारत सरकार से सहायता अनुदान के कारण राजस्व प्राप्तियों (₹ 5,597 करोड़) में वृद्धि के फलस्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में घटकर ₹ 2,165 करोड़ रह गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.96 *प्रतिशत* था जो कि एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट में निर्धारित लक्ष्यों व चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों (तीन *प्रतिशत*) के अन्तर्गत था।

वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) की अवधि का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों में भारी वृद्धि के कारण प्राथमिक अधिशेष (₹ 990 करोड़) में बदल गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि **तालिका 1.31** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटे के संघटक						
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	(+) 645 (0.89)	(-) 576 ((-) 0.70)	(-) 1,641 ((-) 1.77)	(-) 1,944 ((-) 1.92)	1,137 (1.03)
2	शुद्ध पूंजीगत व्यय	1,810(2.49)	1,955(2.38)	1,856(2.00)	1,823(1.80)	2,864(2.59)
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	468(0.64)	448(0.54)	514(0.56)	433(0.43)	437(0.40)
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
राजकोषीय घाटे का वित्तीयन ढांचा*						
1	बाजार उधार	922	1,662	1,757	1,631	1,664
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 13	71	(-) 6	59	(-) 22
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	127	286	424	904	975
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 180	(-) 764	173	24	(-) 436
5	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	636	1,112	887	1,185	718
6	निक्षेप एवं अग्रिम	178	(-) 156	207	504	115
7	उचन्त एवं विविध	(-) 119	756	267	28	(-) 590
8	प्रेषण	(-) 127	(-) 174	(-) 23	12	148
9	अन्य	209	186	325	(-) 147	(-) 407
10	समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं।

**ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।*

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त **तालिका 1.31** दर्शाती है कि गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान राजस्व अधिशेष के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 2,035 करोड़ घट गया। ₹ 2,165 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यत: बाजार

के उधारों (₹ 1,664 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 718 करोड़), निक्षेप एवं अग्रिम (₹ 115 करोड़) तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियों (₹ 975 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध पूंजीगत व्यय 2011-12 के 2.49 से घटकर वर्ष 2014-15 में 1.8 *प्रतिशत* रह गया तथापि वर्ष 2015-16 में 2.59 *प्रतिशत* हो गया।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गई। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पूर्तिकर (बैकअप) नहीं है। प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2011-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 से 0.49 तक था। 2015-16 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुभूत किया (**परिशिष्ट 1.3**)।

2011-16 की अवधि के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत घटकों का द्विभाजन **तालिका 1.32** में इंगित है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेतर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	14,568	11,768	1,810	493	14,071	2,800	(+) 497
2012-13	15,619	13,804	1,955	469	16,228	1,815	(-) 609
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351
2015-16	23,466	19,149	2,864	463	22,476	4,317	(+) 990

इस तालिका से अवलोकित हुआ कि ऋणेतर प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 के ₹ 14,568 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 23,466 करोड़ हो गयी जो कि राजस्व लेखे में प्राथमिक व्यय की आवश्यकता पूर्ति हेतु बिल्कुल पर्याप्त थीं लेकिन वे पूँजीगत लेखे के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) व 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ। वर्ष 2011-12 व 2015-16 के दौरान ऋणेतर प्राप्तियाँ राजस्व व पूँजीगत दोनों ही लेखाओं के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थीं जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 व 2015-16 में क्रमश: ₹ 497 करोड़ व ₹ 990 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष हुआ।

1.12 राज्य वित्त के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से अनुगामी वर्षों का प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वत: उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष

राज्य ने 2011-12 में राजस्व घाटा खत्म करने के लक्ष्य की लब्धि कर ली थी क्योंकि राज्य राजस्व अधिशेष में पहुँच गया था लेकिन तत्पश्चात् इसे बरकरार नहीं रख सका और 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान समस्त तीनों सूचकों में भारी घाटे की अनुभूति हुई।

वर्ष 2014-15 का ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में 13 *प्रतिशत* की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 31 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि के कारण ₹ 1,137 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 में ₹ 4,200 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 2,165 करोड़ हो गया और एफ0आर0बी0एम0/चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (अर्थात् तीन *प्रतिशत*) से नीचे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1.96 *प्रतिशत*) के सापेक्ष रहा। वर्ष 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ का प्राथमिक घाटा चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अन्तरणों के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में भारी वृद्धि के कारण वर्ष 2015-16 में अधिशेष (₹ 990 करोड़) में बदल गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 23,440 करोड़) गत वर्ष की तुलना में (13.57 *प्रतिशत*) ₹ 5,597 करोड़ (31.36 *प्रतिशत*) बढ़ गईं। केवल 37 *प्रतिशत* प्राप्तियाँ ही कर व कर-भिन्न राजस्व से युक्त राज्य के अपने संसाधनों से आईं जबकि अधिकांश (63 *प्रतिशत*) राजस्व प्राप्तियाँ केन्द्रीय अन्तरणों (अर्थात सहायता अनुदान (48 *प्रतिशत*) व केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (15 *प्रतिशत*)) से प्राप्त हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 25,630 करोड़) गत वर्ष (₹ 22,734 करोड़) की तुलना में ₹ 2,896 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़ गया। राजस्व व्यय 2014-15 वर्ष के ₹ 19,787 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,516 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया लेकिन इसी अवधि में कुल व्यय में इसका अंश (87 *प्रतिशत*) यथावत् रहा। योजनागत राजस्व व्यय (₹ 3,493 करोड़) गत वर्ष (₹ 3,204 करोड़) की तुलना में ₹ 289 करोड़ (9 *प्रतिशत*) बढ़ गया और विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय का 12 से 16 *प्रतिशत* रहा तथापि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 2011-16 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय का 84-88 *प्रतिशत* रहा। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशनों व उपदानों पर हुए व्यय ने 2011-16 वर्षों की अवधि में निरन्तर वृद्धि दर्शाई और यह वर्ष 2011-12 के ₹ 11,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 16,511 करोड़ हो गया जो कि राजस्व व्यय का औसतन 77 *प्रतिशत* था। कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अंश 2014-15 के 10.9 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2015-16 में 11.2 *प्रतिशत* बढ़ गया। कुल व्यय पर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के 64.10 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 65 *प्रतिशत* हो गयी।

आयोजनेत्तर व्यय का प्रमुख हिस्सा वेतनों, ब्याज अदायगियों तथा पेंशन में रहता है। वेतन एवं पेंशन दोनों मिलकर राजस्व व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक प्रयोग में लाते हैं। ये बड़े पैमाने पर अपरिहार्य है। राज्य सरकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के संघटकों को शामिल करने हेतु उचित उपाय करें ताकि राज्य परिसम्पत्ति निर्माण एवं निरंतर विकास को जगह देने हेतु राजस्व अधिशेष का रखरखाव किया जा सके।

केन्द्र सरकार के निर्णय कि वर्ष 2014-15 से निधियां राज्य के बजट के माध्यम से हस्तांतरित की जाए के बावजूद भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 364.57 करोड़ की निधियां राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की गई। राज्य में कोई भी अभिकरण ऐसा नहीं है जो इन निधियों से किए गए व्यय का अनुश्रवण करें तथा किसी भी तरह का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो बता सके की इन कार्यकारी अभिकरणों द्वारा वर्ष विशेष में वास्तव में कितना धन खर्च किया गया।

वर्ष 2015-16 के अन्त में कुल ₹ 142.55 करोड़ की निधियाँ 12 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध थीं।

31 मार्च 2016 तक कम्पनियों/निगमों में निवेशित ₹ 3,041 करोड़ से प्रतिफल नगण्य (₹ 111.94 करोड़) अर्थात् 3.68 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 7.89 *प्रतिशत* औसत ब्याज का भुगतान किया। इस निवेश में निरन्तर हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ/निगम भी थे।

वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के लिए ऋण के रूप में विभिन्न ऋणियों/एककों को शर्तों एवं निबन्धनों को अन्तिम रूप दिए बिना ₹ 18.48 करोड़ संस्वीकृत किए गए थे।

चालू वर्ष के अन्त में गत वर्ष की तुलना से 8 *प्रतिशत* की वृद्धि से ₹ 41,197 करोड़ के राजकोषीय दायित्व थे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 37 व राजस्व प्राप्तियों के 176 *प्रतिशत* थे। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2014-15 के 59 *प्रतिशत* से बढकर 2015-16 में 60 *प्रतिशत* हो गया। राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 62 *प्रतिशत* ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है और 'ऋण जाल' की तरफ राज्य को धकेल रही है।

वर्ष 2015-16 के दौरान 32 *प्रतिशत* उधार पुराने ऋणों को चुकाने में खपे जिससे इन ऋणों के लक्ष्य ही विफल हो गए।

1.14 संस्तुतियां

(i) राज्य सरकार द्वारा कर व कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधारार्थ तथा राजस्व व्यय को नियन्त्रणार्थ प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार व उधार ली गई निधियों पर निर्भरता कम हो सके।

(ii) इन निधियों की समुचित लेखाबद्धता के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए व इनकी प्रभावी प्रयुक्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वैधीकृत अद्यतन सूचना होनी चाहिए।

(iii) राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई की दृष्टि से अपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित पूर्णता हेतु मार्ग दर्शिकाएँ बनानी चाहिए और समय एवं लागत वृद्धि के कारणों का सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए। राज्य सरकार को भारी हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की समीक्षा करके उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।